न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 02/2023

प्रविष्टि दिनांकः— 30.01.2023

देवलाल पुत्र जोरा जाति गुर्जर निवासी नयागांव, गोठडा, तहसील दूनी जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दूनी दिनांक 28.12.2022 मिसल संख्या 565/2022

उपस्थितः (1)श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) रामप्रसाद कुमावत, पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक 10.04.2023**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 द्वारा अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी का अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व लगान राशि 6.00 रूपये का 50 गुना पेनल्टी जुर्माना राशि 300/— रूपये आरोपित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल किए जाने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल कराये बिना एवं अपीलांट को सुनावाई का कोई अवसर दिए बिना एक तरफा में पारित किया है। अपीलांट अनपढ, ग्रामीण काश्तकार है जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है, उस पर नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट गरीब भूमिहीन सद्भावी कृषक है जिसकी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की कभी मंशा नहीं रही है, उसके द्वारा उक्त भूमि पर कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पश्चातवर्ती अतिकमण भी नहीं किया है और ना ही उक्त भूमि पर अतिकमण कर कोई फसल काश्त की है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की सही एवं वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना गलत रूप से उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई समक्ष साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गयी है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिकमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, उसके उपरांत भी यह निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवायी है और ना ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हलका की रिपोर्ट में नहीं है, पटवारी हलका ने कोई निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार भी नहीं की है। पटवारी हल्का ने कब व किसके सामने रिपोर्ट तैयार की, इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। पटवारी हल्का ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नही की है। उसके उपरांत भी उक्त आदेश पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है किन्तु अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ। अतिकमी ने खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म चारागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 फसल रबी में सरसों की बुवाई कर अनाधिकृत कब्जा करके अतिकमण किया है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त चरागाह भूमि पर फसल काश्त कर अतिकमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 477/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था जिससे सिद्व होता है कि अतिकमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर बार-बार अतिकमण करने के आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिकमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का के रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 5718 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म चारागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2079 रबी में सरसों की बुवाई कर अतिकमण किया है तथा अतिकमी ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा किया था जिसे तहसीलदार दूनी द्वारा मिसल संख्या 477/2022 दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल किया गया था। अतिकमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि पर अतिकमण करने के आदी है। इस संबंध में तहसीलदार दूनी से भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने सरसों की फसल काश्त कर अतिकमण किया था। वर्तमान में फसल काट ली गई हैं एवं भूमि पड़त हैं। अतिकमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट बार-बार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिक्रमण कर फसल काश्त कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(शिवचरण मीना)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक